Statement

Area & Production under soyabean cultivation During Last Three Years

State	AREA (THOUSAND HECTARES)			PRODUCTION (THOUSAND TONNES)		
	1992-93	1993-94	1994-95	1992-93	1993-94	1994-95
Andhra Pradesh	2.6	4.5	6.0	2.3	5.0	5.0
Gujarat	17.0	18.4	20.0	11.7	14.0	14.0
Himachal Pradesh	0.9	0.8	18.0	0.3	0.3	5.0
Karnataka	41.3	37.8	47.0	27.0	33.5	42.0
Madhya Pradesh	3054.0	3289.5	2910.0	2598.9	3480.3	2587.0
Maharashtra	365.0	501.7	561.0	361.4	671.4	526.0
Orissa	0.9	0.9	1.0	0.6	0.6	1.0
Rajasthan	264.8	345.5	403.0	333.4	369.9	443.0
Uttar Pradesh	30.4	36.1	33.0	37.9	36.7	35.0
Others	11.8	12.3	11.0	13.4	14.6	14.0
Total	3788.7	4247.5	4010.0	3386.9	4626.3	3672.0

बाल-विवाह

†2692. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितने बाल-विवाह हुये हैं;

(ख) देश में बाल-विवाहों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा): (क) देश में आयोजित बाल-विवाहों की संख्या के बारे में कोई सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध नही है। तथापि, वर्ष 1994-95 के दौरान "बाल विवाह निषेध अधिनियम" के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है **(नीचे देखिए)**

(ख) सरकार ने बाल-विवाह निषेध (संशोधन) अधिनियम, 1976 पारित किया है जिसके अन्तर्गत लड़कों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिये 18 वर्ष रखी गयी है। इस अधिनियम को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों का है। विधायी उपायों के अलावा सरकार ने इलैक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से देश में बाल-विवाहों के विरुद्ध जन प्रचार कार्यक्रम तेज कर दिये हैं। छोटी आयु में विवाह और गर्भधारण से लड़की के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव के बारे में स्वैच्छिक अभिकरणों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित जागरूकता विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत सामाजिक चेतना उत्पन्न की जा रही है।

(ग) बाल-विवाह निषेध अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराधों के लिये दण्डित व्यक्तियों की संख्या के बारे में सांख्यिकी सूचना संकलित रूप में उपलब्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान बाल-विवाह निषेध अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994	1995 माह तक
1	2	3	4 5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	1 अगस्त
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0 सितम्बर
3.	असम	1	0 अप्रैल
4.	बिहार	9	1 मई
5.	गोआ	0	0 अक्तूबर
6.	गुजरात	20	10 जून
7.	हरियाणा	2	0 जुलाई

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994	1995	माह तक
8.	हिमाचल प्रदेश	5	6	सितम्बर
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	मार्च
10.	कर्नाटक	1	2	सितम्बर
11.	केरल	3	3	सितम्बर
12.	मध्य प्रदेश	3	1	जुलाई
13.	महाराष्ट्र	5	9	अक्तूबर
14.	मणिपुर	0	0	अक्तूबर
15.	मेघालय	0	0	जुलाई
16.	मिज़ोरम	0	0	अक्तूबर
17.	नागालैण्ड	0	0	अक्तूबर
18.	उड़ीसा	0	0	जून
19.	पंजाब	0	0	अगस्त
20.	राजस्थान	3	3	सितम्बर
21.	सिक्किम	0	0	सितम्बर
22.	तमिलनाडु	0	0	सितम्बर
23.	त्रिपुरा	0	0	सितम्बर
24.	उत्तर प्रदेश	1	0	सितम्बर
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	मई
	कुल राज्य	53	36	
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	
2.	चण्डीगढ़	0	0	
3.	दादर और नागर हवेली	0	0	
4.	दमन और दीयू	0	0	
5.	दिल्ली	0	0	
6.	लक्षद्वीप	0	0	
7.	पाण्डिचेरी	0	0	
		0	0	
	समस्त भारत	53	36	

Evaluation of Educational Technology Scheme

2693. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether National Institute of Educational Planning and administration has undertaken the evaluation of the educational technology scheme; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government on the recommendations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION) (DR. KRUPASINDHU BHOI): (a) The National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA) had undertaken an evaluation study on the aspect of media utilisation under the Educational Technology Scheme.

(b) Pursuant to the examination of the aforesaid study recommendations, an impact study was got conducted by an external agency, under the supervision of Central Institute of Educational Technology (CIET). The recommendations made by NIEPA as well as the findings of the subsequent impact study have since been circulated to the State/Union Territory administrations, for taking follow up action.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार

2694. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं पर उत्पीड़न और अत्याचार की कितनी घटनाएं घटी;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हुई ऐसी घटनाओं की तुलना में यह संख्या अधिक है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को